

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 355 / 09

संस्थित दि.: 02 / 07 / 09

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

अन्नपूर्णा प्रसाद पिता रामकिशोर मिश्रा, उम्र 50 साल,
साकिन वार्ड नं. 23 सिविल लाईन बालाघाट

..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 22/08/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 05/06/09 को समय 10:00 बजे, ग्राम चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर क्रमांक सी.पी.जेड.6372 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कारित किया तथा साजिद को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं आबिद शाह को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अस्पताल बालाघाट चौकी की तहरीर रोजनामचा सान्हा 83 दिनांक 05.06.09 की जांच एवं आबिद शाह के कथन में पाया कि दिनांक 05.06.2009 को ग्राम चांगोटोला से बालाघाट आबिद शाह और सादिक मोटरसाइकिल क्रमांक एम.एच.31/0818 से आ रहे थे। चिखलाजोड़ी में वाहन मेटाडोर सी.पी.जेड.6372 के चालक अन्नपूर्णा प्रसाद ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे आबिद और सादिक खान को चोट आई। जांच एवं कथन के आधार पर आरक्षी केन्द्र रूपझर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 61/09 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से मेटाडोर सी.पी.जेड.6372 को जप्त कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 का अपराध-विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी ने दिनांक 18/02/11 को रात्रि दिनांक 05/06/09 को समय 10:00 बजे, ग्राम चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर क्रमांक सी.पी.जेड.6372 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कारित किया?
- (ब) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने वाहन मेटाडोर क्रमांक सी.पी.जेड.6372 को तेजी एवं लापरवाही चलाकर साजिद को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- (स) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने वाहन मेटाडोर क्रमांक सी.पी.जेड.6372 को तेजी एवं लापरवाही आबिद को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब' एवं 'स' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब' एवं 'स' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी मोह. आबिद (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक को वह उसके भाई के साथ दीनाटोला से बालाघाट जा रहा था। 407 नीले रंग की गाड़ी सामने से आई और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह और उसका भाई दोनों गिर गये। उसको दाहिने हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था और उसके भाई को भी चोट आई थी। वाहन सी.पी.जेड.6372 को वाहन चालक अन्नपूर्णा प्रसाद चला रहा था। दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हुई थी।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी मोह. साजिद (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी दिन के 11:00 बजे की चिखलाजोड़ी लोकमार्ग की है। वह और उसका भाई मोटरसाइकिल से चांगोटोला से बालाघाट जा रहे थे सामने से 407 गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर गये थे और उसके दाहिने पैर व हाथ में चोट आई थी। दुर्घटना 407 के ड्रायवर की गलती से हुई। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-02 में यह बताया है कि उसके भाई ने 407 गाड़ी को आते हुए देखकर उसकी गाड़ी को साईड में कर लिया था। 407 का चालक गाड़ी को तेजी से चला रहा था।

(09) अभियोजन साक्षी मोहनलाल (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 05.06.

2009 को पुलिस चौकी बालाघाट अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर जांच पर से मोहम्मद आबिद के कथन लिये जो प्रदर्श पी-5 है। मोहम्मद साजिद एवं मोहम्मद आबिद को चिकित्सीय परीक्षण बालाघाट अस्पताल में कराया था। आरोपी के विरुद्ध 0 / 09 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-06 है। जांच हेतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन रूपझर थाना को भेजा था एवं अभियोजन साक्षी फूलचंद (अ.सा.08) का कहना है कि उसने दिनांक 05.06.2009 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए अपराध क्रमांक 0 / 09 प्रदर्श पी-7 की विवेचना के दौरान दिनांक 08.06.2009 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 बनाया था। आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद से वाहन सी.पी.जेड6372 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-9 बनाया था। जप्त शुदा वाहन की मैकेनिकल जांच कराई थी। साक्षी सोमेन्द्र, दीपक, योगराज, प्रीतम, मो.आबिद शाह, मो. साजिद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियोजन साक्षी राजेन्द्र प्रसाद (अ.सा.10) का कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 61 / 09 में जप्तशुदा वाहन की मैकेनिकल जांच में कोई तकनीकी त्रुटि होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है।

(10) अभियोजन साक्षी डॉ.सुरेश कावड़े (अ.सा.09) का कहना है कि दिनांक 12.06.2009 को मोहम्मद साजिद के चिकित्सीय परीक्षण में आहत के दाहिने घुठने में सूजन व दर्द होना पाया था। आहत को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया। आहत को आई चोट शख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत मोहम्मद आबिद का मेडिकल परीक्षण किया था, जिसमें उसने आहत के दाहिने कंधे पर सूजन व दर्द होना पाया था। आहत को आई चोट शख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है।

(11) अभियोजन साक्षी सोमेन्द्र (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी दीनाटोला के पास 407 वाहन रेशम विभाग से मोटरसाइकिल टकरा गई थी। मोटरसाइकिल वाला का पैर फ्रेक्चर हो गया था। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी वाहन धीमी गति से चला रहा था। घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दीपक (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से छः माह पुरानी सुबह 10:00 दीनाटोला रोड की है। वह हेण्ड पम्प से पानी भर रहा था, 407 वाहन से मोटरसाइकिल वाले टकरा गये थे। मोटरसाइकिल सवारो को हाथ-पैर में चोट आई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। न्यायालय में उपस्थित आरोपी 407 वाहन चला रहा था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रीतम (अ.सा.05) का भी कहना है कि उसने एक्सीडेंट के बाद आहतगणों को अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे एवं अभियोजन साक्षी योगराज (अ.सा.06) का भी कहना है कि घटना के बाद वह अस्पताल गया था। आहतगण अस्पताल में भर्ती थे।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। फरियादी बीमा राशि प्राप्त करने हेतु पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और असत्य कथन किये हैं, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी मोह. आबिद (अ.सा.01) का स्पष्ट कहना है कि घटना दिनांक को वह उसके भाई के साथ दीनाटोला से बालाघाट जा रहा था। 407 नीले रंग की गाड़ी सामने से आई और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह और उसका भाई दोनों गिर गये। उसको दाहिने हाथ की हड्डी में फ्रेक्चर हो गया था और उसके भाई को भी चोट आई थी। दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हुई थी। वाहन सी.पी.जेड.6372 को वाहन चालक अन्नपूर्णा प्रसाद चला रहा था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खंडन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(15) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी मोह. साजिद (अ.सा.02) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी दिन के 11:00 बजे की चिखलाजोड़ी लोकमार्ग की है। वह और उसका भाई मोटरसाइकिल से चांगोटोला से बालाघाट जा रहे थे सामने से 407 गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर गये थे और उसके दाहिने पैर व हाथ में चोट आई थी। दुर्घटना 407 के ड्रायवर की गलती से हुई। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके भाई ने 407 गाड़ी को आते हुए देखकर उसकी गाड़ी को साईड में कर लिया था। 407 का चालक गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खंडन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) अभियोजन साक्षी मोहनलाल (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 05.06.2009 को पुलिस चौकी बालाघाट अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर जांच पर से मोहम्मद आबिद के कथन लिये जो प्रदर्श पी-5 है। मोहम्मद साजिद एवं मोहम्मद आबिद को चिकित्सीय परीक्षण बालाघाट अस्पताल में कराया था। आरोपी के विरुद्ध 0/09 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-06 है। जांच हेतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन रूपझर थाना को भेजा था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खंडन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) अभियोजन साक्षी फूलचंद (अ.सा.08) का कहना है कि उसने दिनांक 05.06.2009 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए अपराध क्रमांक 0/09 प्रदर्श पी-7 की विवेचना के दौरान दिनांक 08.06.2009 को घटना स्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 बनाया था। आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद से वाहन सी.पी.जेड.6372 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श

पी-6 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-9 बनाया था। जप्त शुदा वाहन की मैकेनिकल जांच कराई थी। साक्षी सोमेन्द्र, दीपक, योगराज, प्रीतम, मो.आबिद शाह, मो. साजिद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खंडन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) अभियोजन साक्षी राजेन्द्र प्रसाद (अ.सा.10) का कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 61/09 में जप्तशुदा वाहन की मैकेनिकल जांच में कोई तकनीकी त्रुटि होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खंडन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) अभियोजन साक्षी डॉ.सुरेश कावड़े (अ.सा.09) का कहना है कि दिनांक 12.06.2009 को मोहम्मद साजिद के चिकित्सीय परीक्षण में आहत के दाहिने घुठने में सूजन व दर्द होना पाया था। आहत को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया। आहत को आई चोट शक्ति एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत मोहम्मद आबिद का मेडिकल परीक्षण किया था, जिसमें उसने आहत के दाहिने कंधे पर सूजन व दर्द होना पाया था। आहत को आई चोट शक्ति एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खंडन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) अभियोजन साक्षी आबिद (अ.सा.01) एवं मोह.साजिद (अ.सा.02), मोहनलाल (अ.सा.07), फूलचंद (अ.सा.08), राजेन्द्र (अ.सा.10), एवं डॉ.सुरेश कावड़े (अ.सा.09) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खंडन नहीं हुआ है और न ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा गम्भीर विरोधाभास है, जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि स्वतंत्र साक्षी सोमेन्द्र, दीपक, प्रीतम, योगराज ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, जिससे अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद हैं। आरोपी सामान्य गति से वाहन चला रहा था और आहतगण की गलती से दुर्घटना हुई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी सोमेन्द्र ने दुर्घटना होने के सम्बंध में कथन किये हैं और घटनास्थल का मौका नक्शा उसकी निशादेही पर बनाया जाना बताया है एवं साक्षी दीपक, प्रीतम ने भी दुर्घटना होने की पुष्टि के कथन किये हैं और आहतगणों को चोट लगने के कारण अस्पताल में उपचार के लिये ले जाना बताया है। जिससे भी अभियोजन के प्रकरण की आंशिक पुष्टि होती है।

(22) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 05/06/09 को समय 10:00 बजे, ग्राम चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर

क्रमांक सी.पी.जेड.6372 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कारित किया तथा साजिद को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं आबिद शाह को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

(23) परिणाम स्वरूप आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(24) प्रकरण में आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(25) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(26) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद एवं आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद के अधिवक्ता को सुना गया।

(27) आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद का यह प्रथम अपराध है। आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद मजदूर पेशा ड्रायवर व्यक्ति है। यदि उसे कारावास से दण्डित किया जाता है तो उसको तथा उसके परिवार को काफी कठनाईयों को सामना करना पड़ेगा तथा उसका परिवार भूखे मर जायेगा। अतः आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

(28) आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(29) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(30) आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। अतः आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते

हुए आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000 / - (एक हजार) रुपये, 337 के आरोप में 500 / - (पांच सौ) रुपये, 338 के आरोप में 1000 / - (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(31) आरोपी अन्नपूर्णा प्रसाद द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(32) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मेटाडोर 407 क्रमांक सी.पी.जेड.6372 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(33) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)